उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना
प्रकीर्ण

07 नवम्बर, 2002 ई0

संख्या 290/43–बा. वि./2002–चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996, उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–
   (1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना –उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग–1 के नियम 3 का खण्ड (क) निम्नवत् पढ़ा जायेगा :–

   3(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों के संबंध में राज्यपाल से है तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के संबंध में निदेशक से है।
4. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग–7 नियम 22 में पद व वेतनमान अब परिशिष्ट में निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	7	रु0 8000–275–13500
2.	कार्यक्रम अधिकारी (निदेशालय हेतु)	1	रु0 8000–275–13500
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	54	रु0 5000–150–8000
4.	अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	6	रु0 5000–150–8000

कार्यक्रम अधिकारी के सभी 8 पद समान वेतनमान के हैं, 7 पद जनपदों में एवं 1 पद मुख्यालय पर है। इन पदों पर इस वेतनमान में कार्यरत किसी भी कार्यक्रम अधिकारी की तैनाती मुख्यालय में की जा सकती है।

5. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग–3 नियम 5 के उपनियम (ग)(दो) निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :–

5(ग)(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। लोक सेवा आयोग से चयनित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं नियमित पदोन्नत बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने–अपने संवर्ग से समान अनुपात के आधार पर पदोन्नत होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदोन्नति के विद्यमान रिक्त पदों में रोस्टर के अनुसार पहला पद सीधी भर्ती के बाल विकास परियोजना अधिकारी, दूसरा पदोन्नत बाल विकास परियोजना अधिकारी, तीसरा सीधी भर्ती के बाल विकास परियोजना अधिकारी .... तदनुसार क्रम चलेगा।

6. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग–4 के नियम 10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाये।

7. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग–7 के नियम 24 अपसारित समझे जायें।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 14–12–2002, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 म०स० एवं बाल विकास/759–17–01–2003–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।